न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जालोर

पीठासीन अधिकारी **श्री नरेश बुनकर ,**
आर.ए.एस.

सायल	**बनाम**	**गैर सायल**
सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, जालोर, मार्फतः—सहायक लोक अभियोजक प्रथम जालोर		श्री नरपत उर्फ बल्लू पुत्र सोहनराज, उम्र 40 वर्ष,जाति जैन, निवासी शिवाजी नगर जालोर, पुलिस थाना कोतवाली जालोर

प्रकरण संख्या **1/2013**

अर्न्तगत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागणः—
1— सहायक लोक अभियोजक प्रथम जालोर ,सायल की ओर से।
2— गैर सायल मय वकील उपस्थित।

आदेश

दिनांकः—**12.6.2018**

1— पुलिस अधीक्षक, जालोर ने गैरसायल नरपत उर्फ बल्लू के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इस सख्स की हरकतो से आमजनता परेशान है, उक्त गैरसायल सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलकर आम नागरिकों के विचारो पर कुप्रभाव डालता है तथा गरीब व भोलीभाली जनता को अनुचित हानि पहुंचाकर उनके परिवार को आर्थिक रूप से पंगू व कमजोर कर लोगों की दैनिक आमदनी को जुआ के भेट चढा देता है। यह सख्स आले दर्जे का झगडालू, बदमाश एवं जुआरी है जिससे इसके विरूद्ध पुलिस या अदालत में कोई भी गवाह देने से भी कतराते है। लोगो को उकसा कर जुए में जीती हुई नकदी लेकर भाग जाता है जिससे कस्बा में अशान्ति फैलने की संभावना बनी रहती है। इसको अदालत द्वारा सजायाब करने के उपरान्त भी यह सख्स अपनी आदत से बाज नही आ रहा है। इसके विरूद्ध निम्न मुकद्में पुलिस थाना कोतवाली जालोर में दर्ज हुए हैः—

1. मुकद्मा सं.306दिनांक11.10.2006,धारा 13आरपीजीओ,पुलिस थाना कोतवाली जालोर में दर्ज होकर बाद चार्जशीट सं. 241/17.10.2006 मुर्तिब कर

माननीय सी.जे.एम. कोर्ट जालोर की अदालत में पेश किया गया। जहां से मुलजिम को दिनांक 1.11.2006(मुकद्मा सं.437/06)को 100/—रू. की अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।अदम अदायगी अर्थदण्ड 2 दिन की साधारण कारावास से दण्डित किया गया।

2. मुकद्मा सं. 362/4.12.2006 धारा 13आरपीजीओ, पुलिस थाना कोतवाली जालोर में दर्ज होकर बाद चार्जशीट सं.288/8.12.2006 मुर्तिब कर माननीय सी.जे. एम.कोर्ट जालोर की अदालत में पेश किया गया। जहां से मुलजिम को दिनांक 18.12.2006 (526/06)को 100/—रू. के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अदम अदायगी अर्थदण्ड 2 दिन का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

3. मुकद्मा सं. 44/13.2.2007 धारा 13 आरपीजीओ , पुलिस थाना कोतवाली जालोर में दर्ज होकर बाद चार्जशीट सं. 23/15.2.2007 मुर्तीब कर माननीय सीजेएम जालोर की अदालत में पेश किया गया। जहां से गैरसायल को दिनांक 19.2.2007(मुकद्मा सं.59/07) को 100/—रू. के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अदम अदायगी अर्थदण्ड 2 दिन का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

इस प्रकार गैरसायल नरपत उर्फ बल्लू एक आले दर्जे का बदमाश व जुआरी है ,लोग इसकी आपराधिक गतिविधियों से भयभीत रहते है। लोग इसके विरूद्ध पुलिस या अदालत में कोई भी गवाह देने से भी कतराते है। इसका स्वतंत्र रहना जिला जालोर की जनता के लिए बेहद खतरनाक है। गैरसायल को उपरोक्त तीनो अपराधों में सजा हो चुकी है। उपरोक्त हालातों से स्पष्ट हैं कि गैरसायल एक आले दर्जे का बदमाश व जुआरी है जिसकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इस्तगासा हाजा बर खिलाफ गैरसायल श्री नरपत उर्फ बल्लू, अन्तर्गत धारा 2/3 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के अन्तर्गत पेश कर अर्ज है कि गैरसायल को जिला जालोर से निष्कासित फरमावे।

2— सहायक लोक अभियोजक द्वारा इस्तगासे पेश करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व गैरसायल को तलब किया गया। गैरसायल उपस्थित हुआ व हाजरी मुचलका प्रस्तुत किया व नोटिस अस्वीकार कर अनवीक्षा चाही व अपना जवाब दिनांक 28.2.2011 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि नोटिस में वर्णित 3 फौजदारी मुकद्मों में (जुआ अधिनियम) में गैरसायल द्वारा पुलिस के दबाव के कारण अपराध स्वीकार किया है तथा जुर्माना गैरसायल के विरूद्ध लगाया गया है। मुकद्मों के अन्य सह—अभियुक्त के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही की गई है। इस्तगासा व नोटिस में जालोर कस्बा के किसी भी मौतबिर नागरिक की शहादत या

शपथपत्र का उल्लेख नही हैं जिससे यह प्रकट हो कि किसी विशेष व्यक्ति या नागरिक को गैर सायल का भय है तथा गैरसायल के आतंक से उक्त नागरिक गवाह देने से डरता है। जुआ अधिनियम के तहत् किये गये कथित मुकद्में गैरसायल को दिया गया नोटिस व मुकद्मा दर्ज करने की तारीख से 6 माह के भीतर–भीतर निर्णित नही हैं, इस कारण धारा 3 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत् गैरसायल को निष्कासित नही किया जा सकता है। अन्तिम मुकद्मा का फैसला दिनांक से 6साल बाद न्यायालय में यह प्रकरण सायल द्वारा पेश किया गया है। 6वर्ष की अवधि के दौरान् कोई भी मुकद्मा गैरसायल के विरूद्ध किसी भी थाने में दर्ज होने का आरोप इस्तगासा व नोटिस में नही बताया गया है। गैरसायल का अरोपित कृत्य राज. गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत् नही आता है और पत्रावली पर गैरसायल के विरूद्ध शून्य साक्ष्य है। 1984 Cr.L.R.(Raj.)206 उम्मेदाराम बनाम राज. राज्य के निर्णय में यह कानूनी स्थिति तय की गयी हैं कि यदि तथ्यों से प्रार्थी का गुण्डा होना प्रतीत नही होता है तो कार्यवाही का प्रारम्भ करना न्यायसंगत नही है तथा कार्यवाही समाप्त की जानी चाहिए। अतः गैरसायल को नोटिस से डिस्चार्ज करावे तथा गैरसायल के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त करने का आदेश करावे।

3– पत्रावली साक्ष्य में रखी जाकर पी.डब्लू.1 व पी.डब्लू.2 को तलब कर बयान लिये गये। गैरसायल ने अपनी तरफ से साक्ष्य में स्वयं के बयान करवाये एवं बताया कि जालोर पुलिस द्वारा अपनी पब्लिसिटी के लिए एवं उच्च अधिकारियों के दबाव में उसके विरूद्ध पुलिस थाना जालोर में तीन झूठे प्रकरण दर्ज किये, वह गुण्डा प्रवृति का व्यक्ति नही है तथा वह मेहनत, मजदूरी कर परिवार व बच्चों का भरण पोषण व उनकी अच्छी शिक्षा की तामील दे रहा है, उसके चरित्र के सबंध में दिनांक 11.11.2014 को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया है जिसकी मूल प्रति ईएक्सडी.1 है व नोटेरी से प्रमाणित प्रति ईएक्सडी. 1–ए पेश की है।

4 उभयपक्ष की बहस सुनी गई। सहायक लोक अभियोजक प्रथम जालोर ने बहस में बताया कि आरपीजीओ में गैरसायल को तीन बार सजा हो चुकी है । राज. पब्लिक गेम्बलिंग अध्यादेश 1949 (1949 का राजस्थान अध्यादेश 48) के अधिन कम से कम दो बार सिद्ध दोष ठहराया गया हो उसे गुण्डा घोषित किया गया है। हस्तगत प्रकरण में गैरसायल को 13 आरपीजीओ में तीन बार सिद्ध दोष ठहरया गया है। अतः गैरसायल को गुण्डा घोषित कर उसे जिले से निष्कासित करने हेतु पर्याप्त सबूत उपलब्ध है, अतः गैरसायल को उक्त धारा के अन्तर्गत गुण्डा घोषित कर जिले से निष्कासित किया जाये। इसके विपरीत गैरसायल के वकील ने बताया कि गैरसायल के विरूद्ध झूठे मुकद्में बनाये गये है तथा गैरसायल व उसके परिवार के विरूद्ध गत 6 साल से किसी भी थाने में किसी प्रकार का प्रकरण दर्ज नही है तथा न ही विचाराधीन है। धारा 2/3 के अन्तर्गत कार्यवाही

प्रारम्भ करने से तत्काल पूव छःमास की कालावधि में कम से कम तीन अवसरों पर वर्णित अपराध या कार्य करने का दोषी नही पाया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक जालोर ने उसे चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र जारी किया गया है। अतः प्रकरण खारिज किया जावे।

5— मेरे द्वारा बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। इस्तगासे में वर्णित तथ्यों एवं पी.डब्लू.1 व पी.डब्लू.2 के बयानो के अनुसार गैरसायल को 13 आरपीजीओ के तहत् तीन मामलों में सजा हुई है व पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त निर्णयों को अपील में उलट दिया हो। राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(5)के अनुसार वह व्यक्ति जिसे राजस्थान पब्लिक गबलिंग अध्यादेश 1949 में उल्लेखित दण्डनीय अपराधों में कम से कम दो बार दोष सिद्ध ठहराया गया हो, उस व्यक्ति को भी "गुण्डा" शब्द में सम्मिलित किया गया है। गैरसायल को भी आरपीजीओ के तहत् दो बार सिद्ध दोष ठहराया गया है। इस प्रकार पत्रावली में उपलब्ध सबूतो व साक्ष्यों पी.डब्लू.1 ,पी.डब्लू.2 के बयानो आदि के आधार पर गैरसायल नरपत उर्फ बल्लू को गुण्ड़ा घोषित किया जाता है। उक्त गैरसायल का पुलिस थाना कोतवाली जालोर क्षैत्र में स्वतंत्र घूमना आमजनता की सुरक्षा व शान्ति के लिये खतरनाक हो सकता है। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य ईएक्सडी.1 व ईएक्सडी.1—ए के अनुसार उसे दिनांक 11.11.2014 को जिला पुलिस अधीक्षक जालोर का चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसका मतलब यह नही होता हैं कि उसे पूर्व में उक्त तीनो मामलों में दोष मुक्त किया जा चुका है। अतः नरपत उर्फ बल्लू को जालोर जिले से एक माह के लिये निष्कासित किया जाता है, इस अवधि में वह जिले की सीमा में प्रवेश नही करेगा एवं पुलिस थाना समदडी में अपनी उपस्थिति प्रतिमाह 1 व 16 तारीख को दर्ज कराने हेतु पाबन्द किया जाता है। थानाधिकारी, पुलिस थाना समदडी नियमानुसार उपस्थिति पंजिका तैयार करे। गैरसायल अपनी सकूनत छोडने की सूचना सबंधित थाना को देगा कि वह कितने दिन तक बाहर रहेगा एवं पुलिस थाना क्षैत्र समदडी में कहा निवास करेगा?,उसकी भी सूचना सबंधित थानाधिकारी को देने हेतु बाध्य रहेगा। इस आदेश की पालना, अपील म्याद गुजरने के बाद प्रभावशील होगी। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक जालोर, थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जालोर,थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी व गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आदेश आज दिनांक 12.6.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले ..न्यायालय में सुनाया गया।

S.d/-
(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जालोर